

RTI Matter  
By Speed Post

36/1/2014-R&SO (Part-I)

Government of India  
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,  
New Delhi-110001,

Dated the 1<sup>st</sup> August, 2014

To

Shri Chander Mohan S/o Vimal Kumar,  
663-A, Jheel Sabzi Mandi, 2<sup>nd</sup> Floor,  
Near Carrier Public School,  
Delhi-110051.

Subject:- Application seeking information under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your application dated 03.07.2014 under RTI Act, 2005 seeking information seeking information in respect of refugees from POJK who left their property behind in Pakistan and steps taken by Government for their compensation.

2. In this connection, the information with regard to point (1) to (7) is given below :-

(1)&(2) (a) :- The Govt. of India had formulated a scheme to provide rehabilitation assistance to the displaced persons from PoJK of 1947. The rehabilitation package sanctioned in 1947-48 is as per Annexure-I.

(b) :- Another rehabilitation package announced in 2002 for the Displaced persons from PoJK of 1947 settled in J&K is enclosed at Annexure-II. This Scheme is being implemented by the State Govt. of J&K.

No Laws were framed by the Govt. of India to provide relief & compensation.

(3): There is no case pending with this Ministry regarding payment of compensation to the Displaced Persons from PoJK of 1947 in respect of scheme mentioned at (a) as above.


(4)&(5): Does not arise since no application is pending in this Ministry.

(6): No. such data/record is maintained.

(7): No such record is available in this regard. Therefore, information cannot be supplied.

3. The Appellate Authority is Joint Secretary (FFR), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.

Yours faithfully,




(Shyam Sunder)

Deputy Secretary & CPIO

Copy to:-

- ✓ (i) Section Officer, IT Cell, MHA, North Block, New Delhi for uploading in MHA website. Copy of the RTI application dated 03.07.2014 is also enclosed.

Encl : As above.



(Shyam Sunder)

Deputy Secretary/CPIO

Hindi version will follow

गृह मंत्रालय  
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6  
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

सं. /No. 20190

दिनांक 20  
Dated 3/2 2019

श्री/श्रीमती/सुश्री

Received From Shri/Smt./Km. Chandan Kumar

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ

with Letter No./Reference No. 1/2 के दिनांक 20

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या

Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. 1/2

के रूप में रुपये की नकद धनराशि

the sum of Rupees by Cash 1000

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।

on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्यक्षर / Initials

रुपये / Rs. 1000

पदनाम / Designation

153/21/1850/14  
4/11/14

जन सुचना अधिकारी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय  
(बंदीवस्त संकल्प) N.D.C.C. - 11 भवन,  
दूसरा तल, जग सिंह रोड,  
नई दिल्ली - 110001

विषय: पाकिस्तान अधिभूत कश्मीर क्षेत्र से अपना सब कुछ लुटवाकर व अपनी सारी प्रापटी व धन छोड़-छाड़ कर व अपनी जान बचाकर आये स्नार्शीयों के लिए सरकार द्वारा किये गये कार्यवाही जानने के लिए सूचना का अधिकार का बूज, 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि

- 1) पाकिस्तान अधिभूत कश्मीर क्षेत्र से अपना सब कुछ लुटवाकर व अपनी सारी प्रापटी व धन सब छोड़-छाड़ कर व अपनी जान बचाकर आये स्नार्शीयों के लिए सरकार द्वारा क्या-2 मुआवजा दिया जाना था? और सरकार ने मुआवजा देने के लिए क्या-2 नियम व कानून बनाये थे?
- 2) जिन पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया था वह कौन, किस जगह और क्या-2 मुआवजा दिया? और सरकार ने इनको किस नियम व कानून के तहत मुआवजा दिया?
- 3) जिन पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा तब से अब तक मुआवजा नहीं दिया गया सरकार उन पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए किस नियम व कानून के तहत कार्यवाही कर रही है?
- 4) जिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा न मिलने के कारण दानि, अन्याय, उन्मत्त, जीवन व, साथ रिक्तवास, अत्याचार, भुल्ले व मानसिक परेशानियों का सामना तब से अब तक कर रहे हैं उसकी इस परेशानियों के लिए जिम्मेदारी कौन है?

30/11/2014/21/14/1850 कृ. प्र. उ.

पोस्टल परिवारों को मुआवजा नहीं मिला इससे, लिए  
असुख तब, कौन से कर्मचारी ल अधिकारी ने मि  
म ल कानून अनुसार अपनी डिग्री का पालन नहीं  
किया इसकी वजा कचक्र थी और उन कर्मचारियों व  
नाम ल पद बताए ?

(6) क्या क्वार्ट द्वारा भी पोस्टल परिवारों को मुआवजा मिला  
गया था नहीं ? यदि मिला था तो वह कौन-2 था ?  
और कौन कौन, किस जगह और क्या-2 मुआवजा  
दिया गया

(7) क्या सरकार द्वारा मुआवजा के दिने का निका Newspaper  
में भी दिया गया था नहीं ?

उत्तर में नियम ल कानून अनुसार मुझे मेरी लिखी  
भाषा में RTI भगा शीका अनुसार और (7) प्रश्नों का  
द्वानपूर्वक पडकर सही जवाब दिया जाए

भवदीय

चन्द्रमोहन  
१३/३/२०१५

चन्द्रमोहन S/O

श्री विमल कुमार

1163-A, इलाहाबाद

महो. II चक्र, फर्रुखाबाद,

नगर फर्रुखाबाद जिला

उत्तर प्रदेश, दिल्ली-110051

फोन 8860180999